

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम  
एवं जिला कलेक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **152/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

कन्हैयालाल पिता शंकरलाल नागदा निवासी: बुजड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर

.....अपीलार्थी

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय**

दिनांक: 30/04/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 31.07.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/152/25/939-40 दिनांक 09.09.2025, पत्रांक 1295-96 दिनांक 22.12.2025, पत्रांक 197-98 दिनांक 02.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा ना तो कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया ना ही वे स्वयं या उनके प्रतिनिधि वक्त सुनवाई उपस्थित हुए।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.04.2026 को परिकथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं अब प्रथम अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। अतः प्रथम अपील ड्रॉप फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी प्रथम अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं ऐसी स्थिति में अपील में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। प्रत्यर्थी के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा आरटीआई एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील का जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं करना राज्य कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, उदयपुर को सख्त हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न की जावे और समय पर जवाब प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हो।



RajKaj Ref No.:  
21923626  
M e-Sign

(गौरव अग्रवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि. एवं  
जिला कलेक्टर, उदयपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2026.04.30 17:14:47 IST  
Reason: Approved